संख्या–34 /70(2003)XXXIV/2004

प्रेषक,

आलोक कुमार,
अपर सचिव,
उत्तरांचल शासन।

सेवा में,

वित्त अधिकारी,
इरला चैक अनुभाग,
उत्तरांचल शासन।

सूचना प्रौद्योगिकी अनुभाग। देहरादून दिनांक 24 मई, 2004

विषयः– आई0टी0आई0टी0आई0 झाझरा, देहरादून को संस्थान के उद्घाटन दिनांक 28 अप्रैल, 2004 के अवसर पर मा0 मुख्य मंत्री जी द्वारा की गई घोषणा के क्रम में धनराशि स्वीकृत किये जाने के संबंध में ।

महोदय,

उपर्युक्त विषय के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि आई0टी0आई0टी0आई, झाझरा, देहरादून के उद्घाटन अवसर दिनांक 29 अप्रैल, 2004 को मा0 मुख्य मंत्री जी द्वारा संस्थान को रुपये 50.00 लाख दिये जाने की घोषणा की गई थी । मा0 प्रधान मंत्री जी द्वारा भी संस्थान को रुपये 1.04 करोड़ की धनराशि दिये जाने की घोषणा की गई थी । यह धनराशि संस्थान को पूर्व में उपलब्ध कराई जा चुकी है ।

मा0 मुख्य मंत्री जी द्वारा की गई उक्त घोषणा के क्रम में राज्य सरकार द्वारा संस्थान के भवन निर्माण एवं अन्य विकास कार्यों के निष्पादन हेतु रुपये 50.00 लाख(रुपये पचास लाख मात्र)की धनराशि चालू वित्तीय वर्ष 2004–05 के आय–व्ययक में कोई प्राविधान न होने एवं उक्त व्यय आवश्यक व अपरिहार्य होने के कारण श्री राज्यपाल राज्य आकस्मिकता निधि से अग्रिम के रूप में आहरित कर व्यय करने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं। उक्त धनराशि की प्रतिपूर्ति आगामी नई मॉंग/अनुपूरक मांग के द्वारा अविलम्ब कर ली जायेगी ।

2– उक्त धनराशि राजकोष से आहरित कर बैंक ड्राफ्ट के माध्यम से श्री राकेश ओबेराय ट्रस्टी, इनफारमेशन टेक्नॉलाजी इंस्टीट्यूट फार द ट्राइब्स ऑफ इंडिया, केशव विद्या नगर, झाझरा,चकराता रोड, देहरादून को उपलब्ध कराई जायेगी ।

3– उक्त स्वीकृत धनराशि का व्यय उसी मद के लिए किया जायेगा जिसके लिए मा0 मुख्य मंत्रीजी द्वारा उक्त दिनांक के अवसर पर की गई । धनराशि का व्यय विवरण तथा उसका उपयोगिता प्रमाण पत्र निर्धारित प्रपत्र पर शासन को धनराशि व्यय करने के एक माह पश्चात उपलब्ध कराया जायेगा । व्यय करने से पूर्व जहां कहीं आवश्यक हो सक्षम अधिकारी की पूर्वानुमति से आहरण किया जायेगा ।

4– स्वीकृत धनराशि का आडिट व्यय करने के पश्चात महालेखाकार, उत्तरांचल से कराया जायेगा ।

5– उक्त धनराशि को व्यय करने से पूर्व बजट मैनुअल तथा वित्तीय हस्तपुस्तिका, स्टोर पर्चेज रूल्स के नियमों तथा सुसंगत आदेशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा तथा व्यय करने से पूर्व जहां कहीं आवश्यक हो सक्षम अधिकारी की पूर्वानुमति प्राप्त कर ली जायेगी। मितव्ययता के संबंध में जारी शासनादेशों का अक्षरशः अनुपालन किया जायेगा।

6– उक्त कार्यों पर होने वाला व्यय प्रथमतः लेखाशीर्षक– 8000– आकस्मिकता निधि–राज्य आकस्मिकता निधि लेखा–201 समेकित निधि के विनियोजन तथा अन्ततः अनुदान संख्या –23 के लेखाशीर्षक – 4859 – दूरसंचार तथा इलैक्ट्रानिक उद्योगों पर पूंजीगत परिव्यय– 02– इलैक्ट्रानिक–आयोजनागत– 800–अन्य व्यय–01–केन्द्रीय आयोजनागत/केन्द्र द्वारा पुरोनिधानित योजनाएं –05– आई0 टी0 आई0 टी0 आई0 झाझरा,देहरादून के विकास कार्यो हेतु –20– सहायक अनुदान/अंशदान/राज सहायता की सुसंगत प्राथमिक इकाइयों के नामे डाला जायेगा।

भवदीय,

(आलोक कुमार)
अपर सचिव।

संख्या– 38 (1)/वि0आ0–3/2003 दिनांक

प्रतिलिपि प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी प्रथम) उत्तरांचल, ओबराय बिल्डिंग, सहारनपुर रोड, माजरा, देहरादून को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

भवदीय,

(एस0 एम0 पन्त)
उप सचिव, वित्त।

संख्या– 34 (2) /70(2003)-XXXIV/2004 तद्दिनांक ।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित–

1–वरिष्ठ कोषाधिकारी, देहरादून।
2–वित्त अनुभाग–3, उत्तरांचल शासन।
3–प्रबंध निदेशक,इन्फारमेशन टेक्नॉलाजी इंस्टीट्यूट फार द ट्राइब्स आफ इंडिया, केशव विधानगर,झाझरा, चकराता रोड, देहरादून
4–जिलाधिकारी, देहरादून ।
5–विशेष कार्याधिकारी, मा0 मुख्य मंत्री जी, उत्तरांचल शासन ।
6–समन्वयक, एन0आई0सी0, देहरादून ।
7–घोषणा सेल, मुख्यमंत्री कार्यालय,विधान भवन, उत्तरांचल,देहरादून।
8–अनुभागीय पुस्तिका।

आज्ञा से,

(जे0पी0जोशी)
उप सचिव।

C:\BhattT\70-I.T.-04